भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *50

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कार्यों में विलंब

***50. श्री वी. के. श्रीकंदनः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केरल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन योजना में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने शेष कार्यों के लिए राज्य के हिस्से की धनराशि जुटाने के लिए इस योजना के लिए समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए कार्यरत ठेकेदारों ने पिछले उन्नीस माह से जमा किए गए अपने बिलों का भुगतान न होने के कारण अपना कार्य बंद कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ङ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

केरल में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों में विलंब के संबंध में वी. के. श्रीकंदन द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *50 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में सदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की थी। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 23.07.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 11.76 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 23.07.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15 करोड़ (77.63%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार 15 अगस्त, 2019 को राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, लगभग 16.64 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 21.12 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.07.2024 तक, केरल में लगभग 37.76 लाख (53.29%) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति उपलब्ध है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए भारत सरकार नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करने और विभाग के बहु-विषयक टीमों का दौरा करने जैसे विभिन्न उपाय करती है ताकि परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता जैसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जा सके तथा मिशन मोड में कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके जिससे सभी ग्रामीण परिवारों को नल जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। ऐसी समीक्षा बैठकों के दौरान केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जल जीवन मिशन के लिए कार्यों को सौंपने में विलंब के मुख्य कारणों में से एक

कारण नई जल आपूर्ति स्कीमों के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां आना है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पेयजल परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में वन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से विभिन्न स्वीकृतियां लंबित हैं, जिससे राज्य में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन भी प्रभावित हुआ है। विभाग ने समय पर मंजूरी के लिए इन एजेंसियों/प्राधिकरणों के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

(ग) शेष कार्यों के लिए राज्य के हिस्से की धनराशि जुटाने के लिए जेजेएम के विस्तार के संबंध में केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, केरल राज्य ने कार्यों को सौंपने के लिए यह अवधि 16 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल राज्य सरकार के लिए 1,949.36 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। केंद्रीय हिस्से की 292.40 करोड़ रुपये राशि की पहली किश्त 6 मई 2024 को जारी की गई थी। राज्य का तदनुरूप हिस्सा 19 जून 2024 को जारी किया गया था। केंद्रीय हिस्से की 292.40 करोड़ रुपये राशि की दूसरी किश्त 19 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। केरल राज्य सरकार द्वारा तदनुरूपी राज्य हिस्सा अभी तक जारी किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में जल जीवन मिशन कार्य प्रगति पर है और पूरे किए गए जेजेएम कार्यों के लिए ठेकेदारों को 3,469 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। ठेकेदारों को ये भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय हिस्से के अनुरूप राज्य के समतुल्य हिस्से की धनराशि जारी करने के बाद किए जाएंगे।

*****